

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / अका0 / पाठ्यक्रम / 2022 / 893

दिनांक : 19.08.2022

### अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।

अधिनियम की धारा

नाम निर्देशित सदस्य का नाम

28(2)एक

1. प्रो० ए०के० सिंह (आचार्य)
2. प्रो० एस०के० द्विवेदी (आचार्य)  
प्रा०भा०इति०संस्कृति एवं पुरातत्व  
अध्ययनशाला जी०वि०वि० ग्वालियर।

28(2)दो

1. रिक्त

28(2)तीन

1. रिक्त


28(2)चार

1. रिक्त

28(2)पाँच


1. डॉ० शांतिदेव सिसौदिया(सह-प्राध्यापक)  
प्रा०भा०इति०संस्कृति एवं पुरातत्व  
अध्ययनशाला जी०वि०वि० ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपतिजी द्वारा प्रो० ए०के० सिंह (आचार्य) को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2022 से तीन वर्ष तक रहेगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रा०भा०इति० संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव(गोपनीय / अकादमी / परीक्षा), जी०वि०वि०, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, / शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

  
उप-कुलसचिव(अकादमी)